कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-12.01.2025

विषय:- मैरिज लॉन मे चोरी करने के मामले में वांछित अभियुक्त कालू थाना शिवपुर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 जोड़ी पायल व शेष बचा कुल 6500/- रू0 नगद बरामद।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के धोखाधड़ी/चोरी/लूट/नकबजनी की घटनाओ के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन में, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कैन्ट के नेतृत्व में थाना शिवपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-575/24 धारा 305-ए बी0एन0एस0 व बढोत्तरी धारा 317(2) बी0एन0एस0 थाना शिवपुर कमि0 वाराणसी से संबंधित वांछित अभियुक्त कालू पुत्र बनवारी निवासी ग्राम कड़िया थाना बोड़ा जनपद राजगढ मध्य प्रदेश को दिनांक-11.01.2025 को समय करीब 22.40 बजे हरिहरपुर भगवानपुर फ्लाईओवर के पास शिवपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 जोड़ी पायल सफेद धातु व शेष बचा कुल 6500/- रू0 नगद बरामद हुआ। उक्त के सम्बन्ध में थाना शिवपुर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक 10/12/2024 को वादी मुकदमा/प्रार्थी ने कालिका धाम लॉन रिंग रोड दानूपुर में विवाह समारोह से नगदी और जेवर वाला सूटकेस चोरी हो जाने के सम्बन्ध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके आधार पर थाना शिवपुर में मु0अ0सं0-575/24 धारा 305-ए बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 प्रशान्त पाण्डेय द्वारा संपादित की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त कालू ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं यहां चोरी करने के इरादे से रेकी करने आया था। हम लोग में से कोई एक आदमी पहले चोरी करने वाली जगह की रेकी करता है और फिर हम लोग साथ मिलकर चोरी करते है। मैं व मेरे अन्य 03 साथी दिनांक-10/12/2024 को एक साथ चार पहिया वाहन से चोरी करने के इरादे से बनारस आये थे और रिंग रोड पर कालिका धाम लॉन से एक सूटकेस चोरी किये थे, जिसमें सोने-चांदी का सामान, एक घड़ी और कुछ कागज वगैरह थे। सूटकेस में सोने का जो भी सामान था उसे मेरे एक साथी ने अपने पास रख लिया था और उसी ने गहना बेचकर मुझे मेरे हिस्से का 30,000/- रु0 और एक जोड़ी चांदी का पायल दिया था। मैं नशे व जुएं का आदी हूं, मैंने अपने हिस्से का अधिकांश पैसा शराब और जुएं में खर्च कर दिया है मरे पास चोरी के हिस्से में मिले यही केवल 6500/- रु0 बचे हैं। कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त

ने बताया कि चोरी हम लोगों का पेशा है। हम लोग अलग-अलग राज्यों में घूम-घूम कर शादी-विवाह, होटल और अन्य कार्यक्रमों से सोने-चांदी और पैसों की चोरी करते हैं और चोरी के पैसों से ही अपने सभी शौक पूरा करते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

कालू पुत्र बनवारी निवासी ग्राम कड़िया थाना बोड़ा जनपद राजगढ मध्य प्रदेश, उम्र करीब 23 वर्ष।

गिरफ़्तारी का स्थान, दिनांक व समय- हरिहरपुर भगवानपुर फ्लाईओवर के पास शिवपुर से, दिनांक-11.01.2025 को समय करीब 22.40 बजे।

बरामदगी का विवरण- चोरी की 01 जोड़ी पायल सफेद धातु व शेष बचा कुल 6500/- रूपये नगद बरामद।

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 0575/2025 धारा 305-ए /317(2) बी0एन0एस0 थाना शिवपुर कमि0 वाराणसी।

गिरफ़्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1- उ0नि0 प्रशान्त पाण्डेय थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
2- का0 ज्ञानेन्द्र यादव थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।